

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

मिशन दस्तावेज



ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

संस्कृति का अर्थ है



राष्ट्र की संस्कृति लोगों के आत्म जीव दिल में रहती है।

— मोहनदास करमचंद गान्धी

भूमिका

ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्य सीधे ग्रामीण निर्धन परिवारों को लक्ष्य में रखने वाले कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण गरीबी को दूर करना है। प्रत्यक्ष रूप से जमिना श्रेणी में ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनमें मजदूरी रोजगार और स्व-रोजगार पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्वर्णजयंती 50वाँ स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) इस मंत्रालय का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें स्व-रोजगार पर बल दिया जाता है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) को पुनर्गठित करते हुए वर्ष 1999 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था।

निर्धनों को संगठित किए जाने की तथा उनकी क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से बढ़ाए जाने की जरूरत एसजीएसवाई की कार्यनीति की मुख्य विशेषता थी ताकि उन्हें स्व-रोजगार के अवसर मिल सकें। एसजीएसवाई के आयन्वन्शन के 10 वर्षों में देश में निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करने की जरूरत को, जो कि उनकी गरीबी को दूर करने के लिए पूर्व अपेक्षित है, व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

एसजीएसवाई की गहन समीक्षाओं से ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने में काफी अधिक क्षेत्रीय विविधताएं, लानार्थियों में अग्रगण्य समता निर्माण, सामुदायिक संरक्षण बनाने के लिए उपर्याप्त निवेश, और बैंकों के साथ कम संपर्क जिराकी वजह से ऋण की उपलब्धता कम हो जाती है तथा बारंबार दिन पोषण जैसी अनेक कठिनाई का पता चला है। अनेक राज्य संगठित नागव संसाधनों एवं उपयुक्त सुदुर्दीनी प्रणालियों की कमी को वजह से एसजीएसवाई

के अंतर्गत मिली निधियों का पूर्ण तरह उपयोग नहीं कर पाए हैं। एसएचजी परिवारों जैसी समूह संस्थाओं की अनुपस्थिति में निर्धन परिवार उत्पादकता संवर्धन, विपणन संपर्क, जोखिम प्रबंधन आदि के लिए उच्च श्रेणी की सहायक सेवाएं नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जहां कहीं भी निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में व्यवस्थित रूप से एकजुट किया गया है और व्यवस्थित तरीके से उनकी क्षमता का निर्माण एवं जोखिम विकास किया गया है वहां एसजीएसवाई को कानो अधिक सफल पाया गया है। अन्य स्थानों में ध्यान प्रभाव नहीं पड़ है।

स्व-रोजगार में प्रत्यक्ष पहलों के जरिए ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाला कार्य का क्षेत्र काफी विशाल है। अनुमानित 7 करोड़ ग्रामीण बीपीएल परिवारों में से 4.5 करोड़ परिवारों को अभी भी स्व-सहायता समूहों में संगठित किए जाने की जरूरत है इन परिवारों में से काफी अधिक परिवार अत्यंत उपेक्षित हैं। यहां तक कि मीजुटा एसएचजी को भी और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है। इसी वृत्तभूमि में सरकार ने एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित करने की मंजूरी दे दी है जिस देश भर में मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। एनआरएलएम में एसजीएसवाई के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है और इतने देश में बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए अनुभवों की प्रमुख सीखों को समाविष्ट किया गया है।

एनआरएलएम का कार्य काफी अधिक महत्वाकांक्षी है। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों (बीपीएल

परिवारी) तक पहुंचना और उन्हें आजीविका के स्थायी अवसर मुहैया कराना है। यह उस समय तक इनका पालन-पोषण करता रहेगा जब तक वे गरीबी से एम्बरकर सामानपूर्ण जीवन व्यतीत न करने लगे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एनआरएलएम में विभिन्न स्तरों पर समर्पित एवं संवेदनशील सहायक संरचनाएं बनाई गई हैं। ये संरचनाएं निर्धनों को संगठित करने, उनकी तथा उनके संगठनों को इनताओं का निर्माण करने, निधियां और अन्य आजीविका संबंधी सहायक प्रयत्न करने में उन्हें समर्थ बनाने की दिशा में कार्य करती हैं। सहायक संस्थाएं प्रारंभ में उन्हें संगठित करने की प्रक्रिया शुरू करने, आजीविका संबंधी सेवाएं मुहैया कराने और बाद में आजीविका परिणामों को बरकरार रखने की भूमिका निभाती हैं। सहायक संरचनाएं इनर विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों/गांव निर्धन युक्तों के साथ मिलकर कार्य करेंगी और उन्हें या तो अधिक विकास वाले क्षेत्रों में या लाभप्रद स्व-रोजगार और माइक्रो इन्टरप्राइजेज में काम दिलवाएंगी।

निर्धनों की सहाय-रूपधारी, उनके परिवार और आजीविका समूह-प्राणीय गरीबों को स्व-सहायता और परस्पर सहयोग पर आधारित समूहिक कार्यवाही के लिए एक मंच मुहैया कराती हैं। वे मंच की एक सशक्त प्रणाली बन जाती हैं। वे बैंकों और सरकारी विभागों सहित प्रमुख संस्थाओं के साथ संपर्क बढ़ाती हैं ताकि उनके आजीविका संबंधी प्रमुख मुद्दों तथा गरीबी के अन्य आयामों का समाधान किया जा सके। ये संस्थाएं उनकी प्राथमिकता आधारित जरूरतों को पूरा करने के लिए बचत योजना और अन्य वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती हैं। इनमें उपयोग संबंधी जरूरतों अलग से राहत, छात्र और स्वस्थ सुख तथा आजीविका शामिल है। ये कोशल, ज्ञान साधनों, आधारभूत सुविधा, स्वयं की निधियों और सदस्यों के लिए अन्य संसाधनों का संचयन करती हैं। ये आग को बढ़ाती हैं खर्च को कम करती हैं, लाभप्रद रोजगार को बढ़ाती हैं तथा अपने सदस्यों के लिए जोखिमों को कम करती हैं। वे सुविधाप्रदाताओं से कर्जोदार के दौरान उनकी वित्तीयता की रक्षा को बढ़ाती हैं।

निर्धनों को उनकी संस्थाओं में मात्रा संवेदनशील सहायक संरचना के जरिए एकजुट करने की जरूरत है। सरकारी एजेंसियां, गैर-सरकारी संगठन और सिविल सोसाइटी संगठन, स्थानीय स्वराजी सरकार, बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र यह भूमिका निभा सकते हैं। समय के साथ-साथ

यूके निर्धनों की संख्याएं भी विकसित और परिपक्व हो जाती हैं इसलिए वे स्वयं संवेदनशील सहायक संरचना और निर्धन की संस्थाएं बन जाती हैं। समय बीतने के साथ-साथ गांव सहायक संरचनाओं पर निर्भरता कम होगी उनके सफल और सशक्त सदस्य तथा मुखिया इस कार्य का जिम्मा ले सकते हैं और इनमें से अनेक प्रक्रियाओं में तेजी ला सकते हैं। इस प्रकार निर्धनों के लिए कार्यक्रम निर्धनों द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम बन जाता है। ये दो पहलू एनआरएलएम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। गरीबी एक जटिल और बहुआयामी घटना है। इसलिए निर्धन की संस्थाओं को अनेक क्षेत्रों में तथा अनेक सुविधाप्रदाताओं के साथ काम पर लगाए जाने की जरूरत है। समय और अनुभव के साथ-साथ उनकी योग्यताएं और प्रभाविकता भी बढ़ती हैं तथापि शुरूआती शिक्षण प्रक्रिया के साथ गुणवत्ता के साथ प्रगति में भी तेजी आई है।

राज्य सरकारों, सिविल सोसाइटी संगठनों, बैंकों और शिक्षाविदों सहित विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ प्रगति विकास मंत्रालय के विस्तृत परामर्श के आधार पर कार्यन्वयन के लिए एनआरएलएम का प्रभावक तैयार किया गया है। एनआरएलएम एक सोचने वाला मिशन है और यह गरीबी उन्मूलन में सभी संतुल्य कार्यों और साथ-साथ अपनी अलक्ष्यताओं से भी सीख लेता है। यह जेमवर्क स्थानीय विषय पर आधारित स्थानीय योजनाओं के लिए स्थल मुहैया कराता है और जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता है यह क्षेत्र में अनुभवों से सीखने के लिए स्थान मुहैया कराता है। एनआरएलएम के कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक राज्य को अपना परिचालन दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए। कार्यक्रमों में प्रगति के साथ-साथ विषय और मांगला आधारित राष्ट्रीय परिचालन नियमावली भी उपलब्ध कराई जाएगी।

एनआरएलएम विभिन्न स्तरों पर अपनी समर्पित संवेदनशील सहायक संरचनाओं और संरचनाओं के जरिए देश में सभी क्षेत्रों/परिसरों तक पहुंचने का और उनके क्षमताओं, आर्थिक स्थिति एवं स्वप्रबंधित आत्मनिर्भरता संस्थाओं को निर्माण करके, नौकरियों में नियोजन के जरिए तथा उन्हें लाभप्रद स्वरोजगार तथा उद्यमों में नियोजित करते हुए उन्हें नरीबी से उबारने का प्रयत्न करता है। निर्धनों की संस्थाएं अपनी आजीविकाओं जीवन और भाग्य के अजीब धीरे-धीरे अपने सदस्य की सहायता का जिम्मा ले रही हैं।

मिशन, सिद्धांत और नैतिक मूल्य

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की मुख्य धारणा यह है कि निर्धनों में गरीबी से उबरने की सहज क्षमता और राशक इच्छा होती है। वे उद्यमशील होते हैं और उनमें गरीबी की स्थितियों में गुजर बसर करने की क्षमता होती है। चुनौती इस बात की है कि सांख्यिक आजीविका सृजित करने के लिए क्षमताओं को उबारा जाए और उन्हें गरीबी से बाहर निकल पाने में समर्थ बनाया जाए। इस प्रक्रिया का पहला चरण उन्हें उनकी स्वयं की संस्थाएं बनाने के लिए प्रेरित करना है। बाझ नाहील से निपटने, वित्त पोषण प्राप्त करने में समर्थ बनाने और उनके हुनर और परिसंपत्तियों का विस्तार करने तथा उन्हें सांख्यिक आजीविका में बदलने के लिए उन्हें तथा उनकी संस्थाओं पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए लगातार भीके पर सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत है। राष्ट्र स्तर से उप-जिला स्तर तक ब्राह, समर्पित, संवेदनशील सहायक संरचना से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी सामाजिक एकजुटता लाएं, संस्थागत निर्माण करें तथा आजीविका को बढ़ाएं।

निर्धनों का राशक संस्थागत मंच उन्हें अपने स्वयं के मानव, सामाजिक, वित्तीय और अन्य संसाधन तैयार करने में सक्षम बनाता है। इन क्षमताओं से वे सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों से अपने अधिकार, उक्त तथा आजीविका अवसर और सेवाएं प्राप्त कर पाते हैं। सामाजिक एकजुटता की प्रक्रिया निर्धनों में भाईचारा, अनिच्छा और तोलमोल की शक्ति को बढ़ाती है। इन प्रक्रियाओं से वे अपने स्वयं

के संसाधनों, हुनर और प्रथमिकताओं के स्तर को बढ़ाने के साथ-साथ व्यवहार्य आजीविका में लगे रह सकते हैं। इस प्रकार वे अत्यंत निर्धनता से बाहर निकल जाते हैं और दुबारा गरीबी के जाल में नहीं फसते। एनआरएलएम यह भी मानता है कि यदि इरो निर्धनों द्वारा संवलिप्त किया जाए तो समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम में प्रगति हो सकती है।

एनआरएलएम मिशन

‘क्षेत्री स्तर पर निर्धनों की राशक एवं स्थायी संस्था बनाकर ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार एवं हुनरमंद मजदूरी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सन्ध बनाते हुए गरीबी को कम करना जिसके फलस्वरूप उनकी आजीविका में निरंतर आधार पर उल्लेखनीय बढोतरी होगी।’

एनआरएलएम मार्गदर्शी सिद्धांत

- निर्धनों में गरीबी से निकलने की मजबूत इच्छा होती है और उनमें सहज क्षमताएं भी हैं।
- निर्धनों की सहज क्षमताओं को उबरने के लिए उनकी सामाजिक एकजुटता और राशक संस्थाओं का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक एकजुटता लाने, संस्थागत निर्माण तथा सशक्तिकरण प्रक्रिया के लिए एक बाह्य समर्थित

और संवेदनशील सहायक संरचना की आवश्यकता है।

- ❖ जानकारी का प्रसार प्रसार, औद्योगिक विकास कृष्ण की उपलब्धता तथा बाजार पहुंच एवं आजीविका संबंधी अन्य सेवाएं उपलब्ध करने में सहायता करने से वे शायद आजीविका प्राप्त कर सकते हैं।

❖ सभी स्तरी-नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में निर्णयों और उनकी संस्थाओं का स्वागत एवं प्रमुख भूमिका।

❖ सामुदायिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता।

एनआरएलएम का नैतिक मूल्य

एनआरएलएम के अंतर्गत सभी क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्य निम्नानुसार हैं:

- ❖ अत्यंत निर्णयों को शामिल करना और सभी प्रक्रियाओं में अत्यंत निर्णयों के लिए सार्थक भूमिका।
- ❖ सभी प्रक्रियाओं और संस्थाओं में जरूरतों का ध्यान रखना।

दृष्टिकोण

गरीबों के क्षमता निर्माण, सहायता और आजीविका सुदृढ़ करने के लिए एनआरएलएम गरीबों की अंतर्निहित क्षमता का उपयोग करेगा। उनके क्षमता (जानकारी, ज्ञान, कौशल, साधन, वित्त और समेकन) निर्माण में सहयोग करेगा ताकि तेजी से बदलते दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। बदलते आजीविका क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए एनआरएलएम तीन मामलों पर कार्य करेगा— गरीबों की आजीविका मौजूदा विकल्पों की वृद्धि एवं विस्तार,



बाजार के बाहर रोजगार बाजार के लिए कौशल विकास और स्वनियोजित व्यक्तियों और उद्यमियों को सहयोग।

समापित रहानाक संरचना से गरीबों के संस्थागत मंच का निर्माण एवं सुदृढीकरण होगा। ये मंच - अपनी मानवीय एवं सामाजिक पूंजी के सहयोग से गरीबों के मुख्य उत्पादों और सेवाओं की मूल्य श्रृंखला में अपने सदस्यों को विभिन्न आजीविका सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इन सेवाओं में वित्तीय एवं पूंजीगत सेवाएं, उत्पादन एवं उत्पादकता संवर्द्धन सेवाएं जिनमें प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कौशल एवं संसंधन और विपणन संपर्क निहित है, शामिल हैं। नरामर्श एवं रोजगार आवश्यकताओं के साथ योग्यता का सामंजस्य करने के पश्चात इच्छुक ग्रामीण बीपीएल दुबानों का कौशल विकास किया जाएगा और उन्हें पारिश्रमिक वाले रोजगार में लगाया जाएगा। स्वनियोजित और लक्ष्य उन्मुख गरीबों को कौशल संबंधी एवं वित्तीय संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा और मांग के अनुसार उत्पादों एवं सेवाओं के लिए लघु उपकरणों के साथ स्थापित एवं संवर्द्ध करने के लिए सहयोग दिया जाएगा। ये मंच गरीबों के लिए सहायक वातावरण पैदा कर विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ तालमेल एवं भागीदारी के लिए जगह उपलब्ध कराता है ताकि वे अपने अधिकार एवं हकदारी, जन सेवाएं एवं अभिनव चुविधाएं प्राप्त कर सकें। गरीबों के समेकन से व्यक्ति अपनी-अपनी संस्थाओं के जरिए अलग-अलग सदस्यों को कारोबारी लोगत में राहत मिलती है, अपने आजीविका को अधिक व्यवहार्य बनाता है और गरीबी से शोष बाहर आने में मदद करता है।

एनआरएलएन का कार्यान्वयन मिशन के रूप में किया जा रहा है। यह समर्थकारी बनाता है: (क) वर्तमान आबंटन आधारित कार्यनीति से मांग आधारित कार्यनीतिक की ओर बदलाव, जिससे राज्य को अपनी आजीविका आधारित गरीबी उपशमन कार्य योजनाएं बनाने में समर्थ बनाता है (ख) लक्ष्यों, परिणामों और समयबद्ध सुपुर्दगी पर ध्यान केंद्रित करता है, (ग) गरीबों के साथ-साथ संगठित क्षेत्र में उभरने वाले लोगों के लिए आजीविका के अवसरों के साथ सतत क्षमता निर्माण, पर्याप्त कौशल उपलब्ध कराना और संपर्क स्थापित करना और (घ) गरीबी दूर करने के लक्ष्य की निगरानी। चूंकि एनआरएलएन मांग आधारित कार्यनीति का अनुसरण करता है इसलिए, राज्यों को गरीबी उपशमन के लिए अपनी आजीविका आधारित सदस्य योजनाएं एवं वार्षिक कार्य योजनाएं बनाने के लिए छूट दी गई है। समय योजनाएं आंतरिक गरीबी अनुपात के आधार पर राज्य के लिए आबंटन के भीतर होगी। मांग आधारित कार्यनीति के द्वितीय स्वरूप से तात्पर्य है कि अंतिम उद्देश्य है कि वे निम्न स्तर पर भागीदारीपूर्ण आयोजना, अपनी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन, अपने अनुभवों के आधार पर भावी योजनाओं की समीक्षा तथा निर्माण के जरिए गरीब कार्यरूपों का संचालन करेंगे। ये योजनाएं केवल मांग आधारित नहीं होगी बल्कि वे निरन्तर चलती रहेंगी। एनआरएलएन प्रक्रियाओं की पुनरावृत्तीय स्वरूप की प्रवृत्ति बनाता है।

एनआरएलएम की मुख्य विशेषताएं

सामाजिक अन्तर्वेशन और जनसंख्या

1. सर्वव्यापी सामाजिक जागरण आरंभ में एनआरएलएम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक निर्धारित ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक सदस्य विशेषकर महिला सदस्य को समयबद्ध ढंग से स्वसाहायता समूह नेटवर्क में लाया गया है। इसके बाद महिला और पुरुष दोनों को आजीविका संबंधी मामलों अर्थात् कृषक संगठन, दूध उत्पादक सहकारी संगठन, बुनाकर संघ आदि, का समाधान करने के लिए संचालित किया जाएगा। सभी संस्थाएँ सहायशील हैं और उनमें से किसी गरीब को नहीं छोड़ा जाएगा। एनआरएलएम समाज के दुर्बल वर्गों का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करेगा जिससे कि बीपीएल परिवारों के शत-प्रतिशत कवरेज के अंतिम लक्ष्य के अंदर 50 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ, 15 प्रतिशत लाभार्थी अल्पसंख्यक और 3 प्रतिशत लाभार्थी अल्प-व्यक्ति में से हो।
2. जन संस्थाओं को बढ़ावा: गरीबों की सुदृढ़ संस्था यथा - स्वसाहायता समूह और उनके ग्राम स्तरीय तथा उच्च स्तरीय परिसंघ गरीबों के लिए स्थान, भूमिका और संसाधन उपलब्ध कराना और बाहरी एजेंसियों पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक है। वे उन्हें अधिकार संपन्न बनाते हैं। वे ज्ञान के साधन तथा प्रौद्योगिकी प्रसार और उत्पादन, सांगुहिकीकरण और सांगुज्य केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं।

इसके अतिरिक्त, एनआरएलएम अधिक उत्पादन, हरसंभव सहायता, सुचना, ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार आदि उपलब्ध कराकर विशिष्ट संस्थाओं तथा - आजीविका समूहों, उत्पादन, सहकारी संघों कंपनियों को बढ़ावा देगा।

आजीविका समूह गरीबों को अपने सीमित संसाधनों का अनुकूल उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों द्वारा निर्मित गरीब महिलाओं के संगठन हैं। एनआरएलएम सभी मौजूदा संस्थाओं को साझेदारी स्वरूप में सुदृढ़ बनाएगा। सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों में स्वसाहायता संबद्ध संस्था को सहायता की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मौजूदा संस्थाओं और उनके प्रधान एवं स्टाफ का अग्रणी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाएगा ताकि नई संस्थाएँ बनाने और उनका संचालन करने की प्रक्रिया को सहयोग दिया जा सके।

3. प्रशिक्षण, समता निर्माण और कौशल निर्माण: एनआरएलएम यह सुनिश्चित करेगा कि गरीबों के निम्नलिखित के लिए पर्याप्त कौशल उपलब्ध कराएगा: अपनी संस्थाओं का प्रबंधन करना, बाजार के साथ संपर्क स्थापित करना, मौजूदा आजीविका का प्रबंधन करना, उनकी ऋण उपयोग क्षमता तथा ऋण साख्त बढ़ाना। लक्षित परिवारों, स्व-सहायता समूहों, उनके परिसंघों, सरकारी कर्मियों, बैंकों,

गैर-सरकारी संगठनों और अन्य मुख्य स्टेकहोल्डरों के लिए बहु-सूत्रीय दृष्टिकोण की संकल्पना की गई है। स्व-सहायता समूहों और उनके परिसंघों तथा अन्य समूहों के क्षमता निर्माण के लिए सामुदायिक परेशनों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को कार्य में लगाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एनआरएलएम ज्ञान-प्रसार और क्षमता निर्माण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी का व्यापक उपयोग करेगा।

4. **परिक्रामीनिधि और पूंजीगत सक्षिप्ती:** सक्षिप्ती परिक्रामी निधि और पूंजीगत सक्षिप्ती के रूप में उपलब्ध होगी। स्वसहायता समूहों (जहाँ 70 प्रतिशत से अधिक सदस्य बीपीएल परिवारों में से हैं) को प्रोत्साहन राशि के रूप में परिक्रामी निधि उपलब्ध करायी जाएगी ताकि वे बचत की आदत बना सकें तथा अपनी दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं तथा उपभोग संबंधी अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियाँ संचित कर सकें। सक्षिप्ती समूह के रूप में होगी और सदस्यों की ऋण संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए और बैंक वित्तपोषण को लाभ लेने के लिए प्रेरक पूंजी के रूप में होगी। गरीबों से बाहर आने के लिए व्यक्तिगत दशे पर धित की सतत एवं सतज उपलब्धता आवश्यक है जबकि ये बड़ी मात्रा में अपनी निधियाँ संचित न कर ले।
5. **सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन:** एनआरएलएम सभी गरीब परिवारों, स्वसहायता समूहों के अतिरिक्त सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए कार्य करेगा। एनआरएलएम वित्तीय समावेशन के मांग एवं आपूर्ति पक्ष से संबंधित कार्य करेगा। मांग पक्ष की ओर यह गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देगा और स्वसहायता समूहों एवं उनके परिसंघों को प्रेरक पूंजी उपलब्ध कराएगा। आपूर्ति पक्ष की ओर यह वित्तीय क्षेत्र के साथ सामन्वय करेगा तथा सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित वित्तीय प्रौद्योगिकियों, बिजनेस कॉरसापो-डेंट एवं सामुदायिक सुविधादता तथा - बैंक मित्र के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह मूल्य, स्वास्थ्य एवं परिवहनियों के नष्ट होने की स्थिति में ग्रामीण गरीबों के सर्वव्यापी कवरेज के लिए

कार्य करेगा। साथ ही, यह विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पलायन स्थानिक है, भेजी हुई रकम से संबंधित कार्य करेगा।

6. **व्याजगत सक्षिप्ती उपलब्ध कराना:** ग्रामीण गरीबों को कम व्याज दर पर तथा विविध मात्रा में ऋण की आवश्यकता होती है ताकि उनके प्रयासों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत सभी पात्र स्वसहायता समूहों जिन्होंने तत्काल ऋण अदायगी के आधार पर मुख्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया है, के लिए 7 प्रतिशत से अधिक व्याज दर पर ऋण का प्रावधान है। जब तक कोई सदस्य पुनरावृत्त संचयी ऋण के जरिए प्रति सदस्य 1.00 लाख रुपये तक ऋण प्राप्त करता है, यह सक्षिप्ती स्वसहायता समूहों को उपलब्ध होगी जहाँ कम से कम 70 प्रतिशत सदस्य बीपीएल परिवार से हैं। जब स्वसहायता समूह को पूंजीगत सक्षिप्ती प्राप्त होती है, व्याजगत सक्षिप्ती लागू नहीं होगी। तथापि, व्याजगत सक्षिप्ती स्वसहायता समूह को तब ही लागूगी जब वे पूंजीगत सक्षिप्ती संबद्ध ऋण अदायगी करने के बाद नया ऋण प्राप्त करते हैं।

आजीविका

7. **जीवन-यापन के लिए सधन तंत्र के रूप में गरीबों की विविध आजीविका होती है।** उनकी मौजूदा प्रमुख आजीविकाएँ हैं, नजदूरी श्रम, लघु एवं सीमांत कृषि, मनुष्यपालन, पशुपालन, मत्स्यपालन और पारंपरिक गैर-कृषि व्यवसाय। वर्तमान आजीविका से निवल आय और रोजगार दिवस उनके व्यय की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एनआरएलएम प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आजीविका के स्वरूप पर विचार करेगा तथा मौजूदा आजीविका को स्थयी एवं समृद्ध करने के लिए कार्य करेगा एवं तत्पश्चात उनको आजीविका को विविधता प्रदान करेगा।
8. **अवसंरचना सृजन और विमणन सहायता:** एनआरएलएम यह सुनिश्चित करेगा कि गरीबों की आजीविका संबंधी मुख्य क्रियाकलापों के लिए अवसरयनात्मक

आवश्यकताएँ पूर्णतः पूरी हों। यह गरीब की संस्थाओं को नियोजन सहजता भी उपलब्ध कराएगा। विपणन सहायता में अनेक किराकलामों में बाजार अनुसंधान, बाजार ज्ञान त्रैद्योगिकी, विस्तार, हर संभव सहायता उपलब्ध कराना, आजीविका रागू बनाना तथा उनकी कार्य योजनाओं में सहयोग देना शामिल है। इन किराकलामों-विशेषकर बाजार संपर्क के लिए एनआरएलएम सार्वजनिक और निजी संगठनों तथा उनके नेटवर्क/संघ के साथ साझेदारी को प्रोत्साहन एवं सहयोग देगा। ग्रामीण हाटों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे लाभार्थियों के सतत निपारण एवं अनुक्रम की सुविधित तंत्र के जरिए उत्पादक समूहों शहरी एवं शहर के बहर के बजारों को अलग-अलग उत्पादकों के साथ क्रयक सफल व्ययन कर सकें। राज्य का 20 प्रतिशत कर्षकम परिषद इस प्रयोजनार्थे आरक्षित रखा जाता है।

9. कौशल एवं नियोजन परियोजनाएँ: एनआरएलएम साझेदारी रीति के जरिए कौशल प्रशसन एवं नियोजन परियोजनाएँ जारी रखेगा क्योंकि यह युवाओं में उदात्त निवेश में से एक है और उभरते बजारों में आजीविका अवसरों को प्रोत्साहन देता है। इसे सुदृढ करने के लिए सार्वजनिक, निजी, गैर-सरकारी और समुदायिक संगठनों के साथ साझेदारी के विभिन्न मॉडल बनाए जाएंगे। औद्योगिक परिसंघों तथा क्षेत्र विशेष कार्यकारी संघों के साथ संबंधों को गजबूत किया जाएगा। इस प्रयास में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) प्रमुख सहभागी होगा। एनआरएलएम के तहत केंद्रीय आवंटन का 15 प्रतिशत इस उद्देश्य के लिए नियत किया गया है।
10. ग्रामीणस्व-रोजगारप्रशिक्षणसंस्थान (आरएसईटीआई): एनआरएलएम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश के सभी जिलों में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आरएसईटी संस्थानों के माध्यम से जिले के दरोजगार ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्यासी स्व-रोजगारी उद्यमियों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिसके लिए आवश्यकता आरक्षित अनुभवजन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यवस्थित

हैंडहोल्डिंग सपोर्ट का उपयोग किया जाता है। चयन, प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण परचात करणों में बैंकों को शामिल किया जाता है। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आरएसईटीआई निधनों के संस्थानों सहित अन्यो का सहयोग लेते हैं।

11. नई पहलें: एनआरएलएम के अनुसार, नई पहलों से निधनत के दूर करने के कई मरा प्रशस्त होंगे। केंद्रीय आवंटन का 5 प्रतिशत नई पहलों के लिए नियत किया जात है। ये परिपूर्ण समधान होने चाहिए और इनमें निधनों के आजीविका संगठनों को जानकारी उपलब्ध कराने एवं उनके क्षमता निर्माण का स्पष्ट अधिदेश निहित होना चाहिए। ऐसी नदलें अपनाई जानी चाहिए जिनसे निधनताम लोगों अक्षया अधिक से अधिक गरीब लोगों को लाभ मिले और सीमित क्षेत्रों से अधिकतम प्रभाव नडे।

तालमेल एवं सहभागिता

12. तालमेल: एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ तालमेल पर अधिक बल दिया जाएगा, ताकि प्रत्यक्ष तौर पर और निधनों की संस्थाओं के माध्यम से तारतम्य स्थापित किया जा सके।
13. गैर-सरकारी संस्थाओं तथा अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) के साथ सहभागिता: एनआरएलएम के तहत गैर-सरकारी संस्थाओं एवं अन्य सिविल सोसायटी संस्थाओं (सीसओ) के साथ नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन स्तरी पर सहभागिता की जाएगी। यह सहभागिता, एनआरएलएम में निहित महत्वपूर्ण मान्यताओं तथा मूल्यों और प्रक्रियाओं एवं परिणामों के संबंध में पारस्परिक समझौते के आधार पर होगी। एनआरएलएम के तहत एनजीओ एवं अन्य सीएसओ के साथ सहभागिता के लिए एक राष्ट्रीय ताला तैयार किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर अन्य स्टैकहोल्डरों के साथ प्रत्यक्षतः अथवा निधनों की संस्थाओं के माध्यम से सहभागिता की जाएगी।

14. पंचायती राज संस्थाओं के साथ संपर्क पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की महत्वपूर्ण भूमिका शिल्प शासन, एजेंसी, व्यवसायिक एवं राजनैतिक भूमिका शामिल है, जो देखते हुए देशीय रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतों तथा निर्धनों की संस्थाओं के बीच एक पारस्परिक लाभकारी कार्य संबंधी संबंध विकसित किए जाते चाहिए। पारस्परिक सहायता, सहायता एवं संसाधनों की विरोधाभासी हेतु निर्धनों की संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच नियमित परामर्श के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित करना आवश्यक होगा। तथापि, उनकी स्वायत्तता बनाए रखी जाएगी। जहां पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं, वहां पारंपरिक स्थायी ग्राम संस्थाओं के साथ लिंकेज स्थापित किया जाएगा।

संवेदनात्मक सहायता

15. बाह्य संवेदनात्मक सहायता स्वरूप: एनआरएलएम के प्रक्रियात्मक प्रयास के लिए समर्पित मानव संसाधन अपेक्षित होंगे। इसे देखते हुए एनआरएलएम के तहत राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा उप-जिला स्तरों पर संवेदी एवं समर्पित सहायता संरचनाएं स्थापित की जाएगी। इनमें राष्ट्रीय स्तर पर एनआरएलएम सलाहकार, सहायक एवं अधिकार-प्राप्त समितियां तथा राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन एकक, राज्य स्तर पर स्वायत्त निगरानों के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) एवं राज्य निदान प्रबंधन एकक, जिला स्तर पर जिला मिशन प्रबंधन एकक और ब्लॉक तथा/अथवा बस्ती स्तर पर उप-जिला एकक शामिल हैं। ये सरकार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (एजेंसी) तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ उपयुक्त रूप से संपर्क बनाए रखेंगी। डीआरडी एजेंसियों में निर्धनों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करके तथा इन्हें व्यावसायिक रूप देकर इनके शासन को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि ये निर्धनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इनमें सहभागिता एवं सेवाओं की आंतरसोपान सहित उपयुक्त व्यवस्था को माध्यम से व्यावसायिक रूप से दक्ष एवं समर्पित मानव संसाधनों में से स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी।

उक्त संरचना का उद्देश्य एक आंतरिक संवेदनात्मक सहायता संरचना विकसित करना है, जिसमें निर्धनों की संस्थाओं, उनके स्टॉक तथा अन्य सामाजिक पूंजी को शामिल किया जाएगा। समय के साथ-साथ आंतरिक सहायता संरचना की भूमिका का विस्तार किया जाएगा और ऐसी कई प्रक्रियाओं में बाह्य संरचना के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाएगा।

16. तकनीकी सहायता: एनआरएलएम के अंतर्गत इसके प्रभावी कार्यन्वयन हेतु राज्यों तथा अन्य सभी सहभागियों की संस्थागत क्षमताओं के सृजन एवं उनकी सुदृढ़ता के लिए उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध होगी। इससे राष्ट्रीय ज्ञान प्रबंधन एवं शिक्षण मंच/प्रणालियों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे निर्धनों की संस्थाओं तथा बैंकिंग क्षेत्रों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच सहभागिता बढ़ेगी जिससे निर्धनों को लाभ मिल सकेंगे। इससे सामाजिक एकजुटता, सांस्थानिक निर्माण, माइक्रो-फाइनेंस, आजीविका, कौशल विकास, उद्यमशीलता आदि सहित प्रासंगिक क्षेत्रों में विशेषज्ञों, प्रैक्टिस करने वालों तथा सलाहकारों का राष्ट्रीय पुल बनाने में सहायता मिलेगी। वे राज्य स्तर पर तुरंत दूर करने संबंधी रणनीतियां बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में एनआरएलएम को मौके पर सहायता उपलब्ध कराएंगे।

17. निगरानी तथा शिक्षण एनआरएलएम द्वारा वेब आधारित समीक्षा समिति (रिनितिवों) की नियमित बैठकों, वरिष्ठ सहकारियों, स्थानीय, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय निगरानी समूहों द्वारा दौरों और समीक्षा एवं आयोजना मिशन की व्यवस्था के माध्यम से अपने परिणामों, प्रक्रियाओं तथा कार्यक्षमताओं की मॉनीटरिंग की जाएगी। प्रक्रिया निगरानी अध्ययनों, विषयसमक अध्ययनों तथा प्रभाव संबंधी मूल्यांकनों से उपर्युक्त में सहायता मिलेगी। इससे और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सामाजिक जवाबदेही प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। यह एनआरएलएम तथा राज्य सरकारों द्वारा विकसित तंत्रों के अलावा होगा।

18. वित्तपोषण पद्धति: एनआरएलएम एक केंद्रीय वित्तपोषित योजना है और इस कार्यक्रम का वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच के 75 : 25 अनुपात (सिक्किम सहित

पूर्वोक्त राज्यों के मामले में 90 : 10, संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में पूर्णतः केन्द्र से) में होगा। राज्यों के लिए नियम संघीय आवंटन का वितरण मोटे तौर पर राज्यों में गरीबी के अनुपात में होगा।

19. चरणबद्ध कार्यान्वयन: निर्धनों की सामाजिक पूंजी में गरीबी की संस्थाएं, उनके नेता, सामुदायिक पेशेवर तथा सामुदायिक सहायता-प्राप्त व्यक्ति (गरीब महिलाएं जिनका जीवन उनकी संस्थाओं के सहयोग से परिवर्तित हुआ है) शामिल हैं। शुरू के वर्षों में सामाजिक पूंजी के निर्माण में कुछ समय लगना है, परन्तु कुछ समय बाद इसमें तेजी से वृद्धि होती है। एनआरएलएम में गरीबों की सामाजिक पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बिना यह जनता का कार्यक्रम नहीं बन सकता। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि पहलों की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में कमी न आए। इसीलिए, एनआरएलएम के मामले में चरणबद्ध कार्यान्वयन संबंधी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। 12वीं अंचलीय योजना के अंत में एनआरएलएम की सभी जिलों तथा ब्लॉकों में पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

जिन ब्लॉकों में एनआरएलएम का व्यापक रूप से कार्यान्वयन किया जाएगा, वहां प्रशिक्षित पेशेवर

स्टॉफ उपलब्ध कराया जाएगा और सार्वभौम एवं गहन सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन, आजीविका, मांगीदारी आदि जैसी गतिविधियां निष्पन्न की जाएगी। तथापि, संघ ब्लॉकों या कम संघन ब्लॉकों में गतिविधियां सीमित रूप से होंगी इन ब्लॉकों में परिचय, वर्तमान एराजीएसवाई के तहत इनके लिए राज्य औसत आवंटन तक सीमित रहेंगे।

20. एनआरएलएम को लागू करना: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनआरएलएम की औपचारिक शुरुआत से एक वर्ष में इसे लागू करना होगा। इसके बाद एराजीएसवाई के अंतर्गत वित्तपोषण समाप्त हो जाएगा।
21. एनआरएलएम की कार्यशैली: एनआरएलएम के अंतर्गत देश के 8.0 लाख गांवों की 2.6 लाख पंचायतों के 6000 ब्लॉकों में 7.0 करोड़ बीघेएल परिवारों के स्व-संचालित एराजीजी एवं उनके तंत्रीय संस्थानों एवं आजीविका प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। एनआरएलएम के तहत उन्हें वित्तीय तथा गरीबी दूर करने के उनसे प्रयासों में सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, निर्धनों को उनके अधिकारिता के बारे में जागरूक किया जाएगा।

आर्थिक सहायतावित्तीय मानकसीमा

1. स्व-सहायता समूहों का गठन: समूहों के गठन एवं उनके विकास के लिए एनजीओसीसीओ सामुदायिक सन्वयकों सुविधादाताओं एनोमेटर्स को 10000/- ₹ प्रति समूह दिए जाएंगे।
2. परिक्रामी निधि (आरएफ): एसएचजी के कारपस के रूप में न्यूनतम 10000/- ₹ से लेकर अधिकतम 15000/- ₹ प्रति एसएचजी सहायता दी जाएगी। यह रकम सभी एसएचजी को दी जाएगी जिन्होंने पहले अरएफ प्राप्त नहीं किया है। 70 प्रतिशत से अधिक वीपीएल सदस्यों वाले स्व-सहायता समूह ही आर एफ के पात्र हैं।
3. पूंजीगत सक्षिडी (सीएस): एसएचजी के सदस्यों तथा वैयक्तिक लाभार्थियों दोनों के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 15000/- ₹ तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लिए 20,000/- ₹ प्रति अनुसूचित जनजाति श्रेणी की पूंजीगत सक्षिडी सीमा लागू है। प्रत्येक एसएचजी अधिकतम 2.50 लाख ₹ की सक्षिडी के लिए पात्र है। केवल वीपीएल सदस्य वैयक्तिक सक्षिडी के लिए पात्र हैं और 70 प्रतिशत वीपीएल सदस्यों वाले एसएचजी सक्षिडी के पात्र हैं। जहाँ भी स्वसहायता समूह ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, पूंजीगत सक्षिडी सीधे स्वसहायता समूहों को अथवा उन्हें उनके परिचरों के माध्यम से दी जाएगी।
4. क्षमता निर्माण तथा कौशल प्रशिक्षण: 7500 ₹ प्रति लाभार्थी - इस घटक के तहत उपलब्ध राशि, न केवल लाभार्थियों वित्तिक कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्टाफ, सामुदायिक पेशेवरों, संबंधित सरकारी कर्मचारियों आदि, एनजीओ, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं आदि सहित सभी आय स्टैकहोल्डरों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माणके लिए उपयोग की जाती है। एक्सापोजर दीर्घ तथा इमर्शन दीर्घ पर व्यय को भी इस घटक के तहत कवर किया जाना है। उल्लिखित कौशल प्रशिक्षण से तात्पर्य रोजगार के लिए सदस्य स्तरीय प्रशिक्षण से है तथा यह रोजगार - समबद्ध कौशल प्रशिक्षण से अलग है।
5. ब्याज सक्षिडी: बैंक से प्राप्त सभी एसएचजी ऋणों के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक से अधिक ब्याज दर पर सक्षिडी समय पर पुनर्भुगतान पर आधारित है। किसी लाभार्थी या एसएचजी सदस्य को ब्याज पर सक्षिडी, उसकी द्वारा 1.00 लाख ₹ तक के बैंक ऋण पर दी जाएगी अनुमान है कि स्व-सहायता समूहों में सदस्यों को वित्तपोषण में दोहराव होगा और यह 1.00 लाख ₹ की सीमा, किसी सदस्य (परिवार) द्वारा प्राप्त किया गया संघी ऋण है। किसी एसएचजी द्वारा पूंजीगत सक्षिडी के मामले में उक्त सक्षिडी उपलब्ध नहीं होगी।
6. परिसंघों के स्थायित्व तथा दक्षता के लिए कार्पस फंड हेतु एकमुश्त अनुदान -
 - ◆ ग्रामपंचायत स्तरीय परिसंघों के लिए 10000/- ₹
 - ◆ ब्लॉक स्तरीय परिसंघ के लिए 20000/- ₹
 - ◆ जिला स्तरीय परिसंघ के लिए 100000/- ₹

7. प्रशासनिक व्यय: कौशल विकास तथा रोजगार और आरएसईटीआई चक्र: हेतु आवंटन का 5 प्रतिशत यह राज्यों को केन्द्रीय रिलीज तथा संगत राज्य टैरिफों का 5 प्रतिशत है।
8. आधारभूत सुविधाएं तथा विपणन: केन्द्रीय हिस्से तथा राज्य स्तरीय हिस्से अर्थात् राज्य के कार्यक्रम परिव्यय के 20 प्रतिशत तक (पूर्वात्तर राज्यों तथा सिक्किम के मामले में 25 प्रतिशत)।
9. कौशल तथा रोजगार परियोजनाएं एवं नवीनीकरण (केन्द्रीय आवंटन का 20 प्रतिशत): नवीनीकरण

परियोजनाओं पर व्यय 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और शेष 15 प्रतिशत रोजगार सम्बद्ध कौशल विकास परियोजनाओं के लिए है। रोजगार सम्बद्ध कौशल विकास परियोजनाओं के लिए आवंटन (7.5 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत बहु-राज्यीय कौशल विकास परियोजनाओं हेतु केन्द्र के पास रखा जाता है और शेष राज्य विशिष्ट कौशल विकास एवं रोजगार परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशियों को आवंटित किया जाता है। राज्यों द्वारा उन्हें रिलीज की गई राशि का संगत राज्य हिरसा तपस्य करना होता है।